संख्या-102/2018/3428 ई-2/तेरह-2018-53/2013

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 27 नवम्बर,2018

विषयः-आसवनी में 02 के0एल0पी0डी0 के स्थान पर 06 के0एल0पी0डी0 क्षमता का माल्ट प्लान्ट स्थापित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-77/दो-प्रा0डी0-45, दिनांक 12 अक्टूबर,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 12 अक्टूबर,2018 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स मोदी आसवनी, मोदीनगर, गाजियाबाद की पेय क्षमता के अधीन शासनादेश दिनांक 08-03-2018 के अन्तर्गत 02 किली0 प्रतिदिन क्षमता के माल्ट प्लान्ट के स्थान पर 06 किली0 प्रतिदिन क्षमता का माल्ट प्लान्ट स्थापित किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत आसवनी द्वारा माल्ट स्प्रिट का निर्माण करने हेतु गैर शीरा पदार्थ जैसे-अनाज, आलू/चुकन्दर/स्वीट सोरगम/सोरगम स्टेम आदि अन्य रॉ मैटेरियल का उपयोग नहीं किया जायेगा, बल्कि इस हेतु प्रश्नगत आसवनी द्वारा बाहर से माल्ट क्रय करके माल्ट स्प्रिट का निर्माण किया जायेगा। साथ ही इकाई द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की सुसंगत विधियों एवं स्थानीय विधियों में विहित व्यवस्था का पालन तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों/मानकों का अनुपालन सुनिचित किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/-
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in